

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-08-12/2025(स्वा०)...../ पटना, दिनांक:-.....

सिविल सर्जन, सहरसा के पत्रांक-1610 दिनांक-19.06.2025 द्वारा डॉ० प्रतिभा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), अनुमण्डलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के विरुद्ध कुल संस्थागत प्रसव का 5% (पाँच प्रतिशत) LSCS का उपलब्धि प्राप्त नहीं करने, सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा में दिनांक-31.05.2025 को हंगामा करने, वरीय पदाधिकारी से अमर्यादित व्यवहार करने एवं सिविल सर्जन, सहरसा द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्य को जाँच के दौरान अभिवादन नहीं करने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०-196(9) दिनांक 19.02.2026 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में डॉ० कुमारी द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन विभाग में समर्पित किया गया।

2. डॉ० कुमारी के समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सिविल सर्जन, सहरसा से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा डॉ० कुमारी के विरुद्ध उग्रतापूर्वक व्यवहार करने सहित चिकित्सीय कार्य में अभिरुचि नहीं लेने संबंधी आरोप को सत्य पाया गया। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. अतएव डॉ० प्रतिभा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), अनुमण्डलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन सं०-196(9) दिनांक-19.02.2026 द्वारा गठित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Encl/ ज्ञापन सं०-9/आ०-08-12/2025(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापन सं०-9/आ०-08-12/2025(स्वा०) 921(9) /पटना, दिनांक:-17.08.26

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कोशी प्रमंडल, सहरसा/ सिविल सर्जन, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/08/26

✓ प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:—डॉ० प्रतिभा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अव
14/02/2016
सरकार के अवर सचिव।